न्यायालयः— द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद,जिला भिण्ड (समक्षः पी०सी०आर्य)

सत्र प्रकरण<u>कमांकः 122 / 2015</u> संस्थित दिनांक—18 / 04 / 2015 फाईलिंग नंबर—230303002622015

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— । आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला—भिण्ड (म०प्र०) ———<u>अभियोजन</u>

वि रू द्ध

	V. 13	
1.	मनीष पुत्र प्यारेलाल उम्र 20 साल	
2.	संदीप पुत्र प्यारेलाल उम्र 22 साल	
3.	बलवीर पुत्र मौजीराम उम्र 39 साल	
4.	सतेन्द्र पुत्र पुरूषोत्तम उम्र 22 साल	
54	पानसिंह पुत्र गोकुल सिंह उम्र 63 साल	
6.	रामप्रकाश पुत्र लोकमन उम्र 52 साल	
7,~	जीवन सिंह पुत्र मौजीराम उम्र 40 साल	
8. 9.	धीरसिंह पुत्र रामप्रकाश, उम्र 28 साल	
9.	रूपसिंह पुत्र पानसिंह, उम्र 27 साल	
10.	पुरूषोत्तम पुत्र मौजीराम, उम्र 42 साल	
	निवासीगण ग्राम गुरीखा थाना मालनपुर,	d

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियाजक आरोपी जीवनसिंह द्वारा श्री सागर सिंह कंसाना अधिवक्ता। शेष आरोपगण द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता

जिला भिण्ड मध्यप्रदेश.....अरोपीगण

-::- निर्णय 👫:-

(आज दिनांक 07/09/2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

अभियुक्तगण रामप्रकाश, धीरसिंह, पुरूषोत्तम, बलवीर, जीवनसिंह, संदीप सतेन्द्र पर धारा—147, 148, 302/149, 307, 323/149, 325/149 एवं 294 भा०द०वि, एवं आरोपीगण संदीप, रूपसिंह पर धारा—147, 148, 302/149, 307/149, 323/149, 325/149 एवं 294 भा०द०वि, आरोपीगण सतेन्द्र एवं पानसिंह पर धारा—147, 148, 302, 307/149, 323/149, 325/149 एवं 294 भा०द०वि के तहत यह आरोप है कि उन्होंने 09/11/2014 के सुबह करीब 8 बजे फरियादी हरेन्द्र सिंह के मकान के पास ग्राम गुरीखा अंतर्गत थाना मालनपुर के क्षेत्रान्तर्गत सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्व जमाव का गठन कर उस जमाव के उक्त सामान्य उददेश्य मृतक सुरेश की हत्या एवं आहतगण प्रेमसिंह,

रामहेत, महाराज सिंह की हत्या का प्रयास करने के लिए किया और उसके अग्रशरण में बल एवं हिंसा का प्रयोग कर बल्वा कारित किया एवं सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतक सुरेश की हत्या एवं आहतगण प्रेमसिंह, रामहेत, महाराज सिंह की हत्या का प्रयास करने के लिए आपस में मिलकर विधि विरूद्व जमाव का गढन कर उस जमाव के सामान्य उददेश्य की पूर्ति में घातक हथियार सरिया, सब्बल, लुहांगी लाठी से सुसज्जित होकर बल एवं हिंसा का प्रयोग कर बल्वा कारित किया तथा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर उक्त विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए उस जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में आहतगण प्रेमसिंह, रामहेत व महाराज सिंह, अंजू, हरेन्द्र की घातक हथियार लुहांगी लाठी, सरिया व सब्बल से मारपीट की, कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती, तो आप हत्या के दोषी होते, जिसका आपको ज्ञान था, या ऐसा सभांव्य जानते थे तथा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर उक्त विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए उस जमाव के सामान्य उददेश्य की पूर्ति में आहतगण प्रेमसिंह, अंजू, हरेन्द्र व महाराज सिंह की लाठियों से मारपीट कर स्वेच्छापूर्वक साधारण उपहति कारित की एवं सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर उक्त विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए उस जमाव के सामान्य उददेश्य की पूर्ति में आहत रामहेत की मारपीट कर उसके बांये हाथ में फैक्चर पहुंचाकर स्वेच्छापूर्वक घोर उपहति कारित की तथा फरियादी /आहतगण को मां बहिन की अश्लील गालियां दी जिससे सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ।

- 2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि आरोपीगण एवं फरियादी एवं मृतक एक ही ग्राम के निवासी हैं।
- 3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दि. -09 / 11 / 2014 के सुबह करीब 08 बजे फरियादी हरेन्द्रसिंह अपने घर पर था, तभी उसके पड़ौस के रामपकाश जाटव ने उसके चाचा प्रेमसिंह को आकर मां बहिन की गंदी गंदी गालियां देते हुए कहा कि तुम उसके खेतों में पानी लगाने से क्यों रोकते हो तो फरियादी के चाचा प्रेमसिंह ने रामप्रकाश को गालियां देने से मना किया तभी पानसिंह, रामप्रकाश, सुमेरसिंह, बलवीरसिंह, रूपसिंह, धीरसिंह, शैलेष, पुरूषोत्तम, छोटे, मनीष, सतेन्द्र तथा जीवनसिंह सबलियां, सरिया, लांडियां, लुंहागी लेकर एक राय होकर चाचा को मारने के लिए आये तब फरियादी के पिता महाराजसिंह, चाचा सुरेशसिंह, रामहेत, भाई रायसिंह, चाची अंजूबाई एवं स्वयं फरियादी हरेन्द्रसिंह बचाने लगे, तभी रामप्रकाश ने कहा कि मारो मादरचादों को, इसी परसे सभी आरोपीगण लाठी, लुंहागी, सरिया, कुल्हाडी, सबलयां से मारपीट करने लगे, आरोपी जीवनसिंह ने फरियादी के बांये हाथ में सब्बिलया मारी, रामप्रकाश ने दांये घुटे में लाठी मारी, मौके पर अमरसिंह जाटव, मेवराम जाटव आ गये जिन्होंने घटना

देखी थी और बीच बचाव कराया था। चोटें ज्यादा होने से फरियादी एवं आहतगण सीधे गोहद अस्पताल चले गये था, प्राथमिक उपचार के बाद फरियादी के चाचा सुरेश, महाराज, रामहेत, प्रेमसिंह को ग्वालियर के लिए रिफर किया गया था, जिनका रिलाइफ अस्पताल ग्वालियर में भर्ती रहकर इलाज चल रहा है, उक्त आशय की देहाती नालसी फरियादी हरेन्द्रसिंह द्वारा लिखायी गयी जो कमांक—0/14 पर प्रदर्श पी.—34 लेख करायी गयी।

- 4. फरियादी की उक्त देहाती नालसी प्रदर्श पी.—34 पर से रिपोर्ट पर से थाना में आरोपीगण के विरुद्ध अप.क.—222 / 2014 धारा—147, 148, 149, 323, 294 भा0द0वि0 का प्रदर्श पी.—48 पंजीबद्ध किया गया है । आहतगण का मेडीकल एवं इलाज करवाया गया, दौराने विवेचना आहतगण को आयी गंभीर चोटों के कारण एवं दौराने इलाज सुरेशसिंह की मृत्यु हो जाने से धारा—302, 307 भा.द.वि. का इजाफा किया गया । तत्पश्चात् सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया ।
- 5. अभियोगपत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण रामप्रकाश, धीरसिंह, पुरूषोत्तम, बलवीर, जीवनसिंह, संदीप सतेन्द्र पर धारा—147, 148, 302/149, 307, 323/149, 325/149 एवं 294 भा0द0वि, एवं आरोपीगण संदीप, रूपसिंह पर धारा—147, 148, 302/149, 307/149, 323/149, 325/149 एवं 294 भा0द0वि, आरोपीगण सतेन्द्र एवं पानसिंह पर धारा—147, 148, 302, 307/149, 323/149, 325/149 एवं 294 भा0द0वि के तहत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया । धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। उनकी ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी है ।
- 6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :--
 - 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 09/11/14 को सुबह करीब 08:00 बजे ग्राम गुरीखा में हरेन्द्र सिंह के मकान के पास आपस में मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन का किया ?
 - वया आरोपीगण ने उक्त विधि विरुद्ध जमाव का गठन सुरेश की हत्या और प्रेमसिंह, रामहेत, महाराजसिंह, अंजू व हरेन्द्र आदि पर प्राणघातक हमला, गंभीर व साधारण उपहतियां पहुंचाने के उद्देश्य से किया ?
 - 3. क्या आरोपीगण ने उक्त विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए उक्त उद्देश्य को अग्रसर करने में घातक हथियारों से सुसज्जित होकर बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया ?

- 4. क्या आरोपीगण ने उक्त सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में सुरेश को ऐसी उपहितयां कारित की जिसके कारण उसके सिर में आयी चोट के फलस्वरूप हुई सुरेश की मृत्यु साशय हत्या की श्रेणी में आती है ?
- 5. क्या आरोपीगण ने उक्त सुसंगत घटना में निर्मित सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए प्रेमसिंह, रामहेत, महाराज सिंह अंजू व हरेन्द्र को ज्ञान रखते हुए लाठी लुहांगी, सरिया सब्बल आदि से मारपीट कर उपहतियां कारित की जिनसे यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो वे हत्या के अपराध के दोषी होते ?
- 6. क्या उक्त सुसंगत घटना में आरोपीगण ने उक्त विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए उसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में रामहेत को बायें हाथ में स्वेच्छा घोर उपहित कारित की ?
- 7. क्या उक्त सुसंगत घटना में आरोपीगण ने उक्त विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में प्रेमसिंह, अंजू, हरेन्द्र और महाराजसिंह को लाठियों से मारकर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित की ?
- 8. क्या उक्त सुसंगत में घटना आरोपीगण ने लोकस्थान पर आहतगण को संतृक्त करने वाली अश्लील गालियां दीं जिससे उन्हें व सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ ?

_::-निष्कर्ष के आधार

विचारणीय प्रश्न कमांक-8 का विश्लेषण एवं निराकरण

11. इस संबंध में अभियोजन कथानक मुताबिक घटना का उद्भव गाली गलोच को लेकर ही बताया गया है। क्योंकि प्र0पी0—34 की देहाती नालसी रिपोर्ट जिस पर से प्र0पी0—48 की एफ0आई0आर0 पंजीबद्ध हुई थी। उसमें खेतों में पानी लगाने पर से फरियादी हरेन्द्र के घर के पास आकर उसके चाचा प्रेमसिंह को आरोपी रामप्रकाश के द्वारा मा—बिहन की गंदी—गंदी गालियां देने पर रोकने पर से सभी आरोपीगण का हथियारों से सुसज्जित होकर एक साथ आकर घटना को अंजाम देना बताया गया है। अनुसंधान में घ ाटनास्थल का जो नजरी नक्शा प्र0पी0—35 तैयार किया तथा पटवारी मुरारीलाल (अ०सा0—4) द्वारा तैयार किया गया नजरी नक्शा प्र0पी0—16 है, जिसमें घटनास्थल को जहां दर्शाया गया है, वह ग्राम गुरीखा जाने वाला पक्का रोड है, रोड के दोनों तरफ मकान दर्शाय है और मकानों के बीच से खेतों पर जाने के रास्ते भी दर्शाये गये है।

जिससे बताया गया घटनास्थल लोकमार्ग की श्रेणी में आता है, किंत् अभिलेख पर इस संबंध में सुदृढ साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह प्रकट हो कि आरोपीगण के द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा लोकस्थान पर ऐसे शब्दों का उच्चारण किया गया हो, जिससे सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ हो, क्योंकि देहाती नालसी रिपोर्टकर्ता हरेन्द्र सिंह (अ०सा0–12) ने अपने अभिसाक्ष्य में गाली–गलोच की घटना ही नहीं बतायी है और वह इस बिन्द पर पक्ष विरोधी रहा है। प्र0पी0-34 की देहाती नालसी रिपोर्ट, प्र0पी0-36 के पुलिस कथन में भी उसके द्वारा इस बिन्दु पर साक्ष्य नही दी गयी है। प्रेमसिंह (अ०सा0–05) जिसे रामप्रकाश जाटव के द्वारा मां–बहिन की अश्लील गालियां देना कहा गया है उसने भी अपने अभिसाक्ष्य में कोई ऐसा तथ्य नहीं बताया है। घटना के अन्य आहत महाराजसिंह (अ०सा०-06), श्रीमती अंजू (अ०सा०-07), रामहेत (अ०सा०-08) तथा घटना के चक्षुदर्शी साक्षी रायसिंह (अ०सा0–०९), मेवाराम (अ०सा०–10) और अमरसिंह (अ०सा०–11) के अभिसाक्ष्य में भी इस बिन्द्रे पर कोई तथ्य नहीं आये है। इसलिए अभिलेख पर धारा–294 भा0द0वि0 के प्रमाण हेत् आवश्यक तत्वों के संबंध में साक्ष्य नहीं आयी है तथा तत्वों के संबंध में व्यक्तिगत और समृहिक रूप से भी साक्ष्य नहीं आयी है। इसलिए धारा—294 भ0द0वि0 का आरोपीगण के विरुद्ध विरचित आरोप संदिग्ध है और प्रमाणित नहीं होता है।

विचारणीय प्रश्न क0-01 लगायत-03 का विश्लेषण एवं निराकरण

- 12. उपरोक्त तीनों विचारणीय प्रश्न एक दूसरे से समर्थित होकर एक दूसरे से सम्बद्ध है इसलिए सक्ष्य की विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो और सुविधा की दृष्टि से सभी का एक साथ मूल्यांकन करते हुए निराकरण किया जा रहा है।
- इस संबंध में अभियोजन का जो कथानक है, उसमें 13. प्र0पी0-34 की देहाती नालसी जो कि आहत हरेन्द्र के द्वारा लिखायी गयी थी, उसमें गाली गलोच के उद्भव से घटना का प्रारंभ बताते हुए आहत प्रेमसिंह के द्वारा रामप्रकाश को गालियां देने से मना करने पर सभी आरोपीगण का सब्बेलिया, सरिया, कुल्हाडी, लाठी लुहांगी लेकर एक राय होकर प्रेमसिंह के पास आना, फिर मारपीट करना और बचाने के लिए पहुंचने पर महाराजसिंह, सुरेश, रामहेत, रामसिंह, अंजुबाई, और हरेन्द्र की भी मारपीट करना बताया गया है। इस तरह से कथानक मुताबिक आरोपीगण की संख्या पांच से अधिक है और उनके पास जो हथियार बताये हैं उनमें से लाठी को छोडकर शेष हथियार घातक हथियारों की परिधि में आते है अभिलेख पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गयी साक्ष्य के आधार पर यह मुल्यांकन करना होगा कि क्या जिस प्रकार से कथानक में आरोपीगण की संख्या, उपस्थिति और हथियारों से लेस होने का बिन्दु बताया गया है उस अनुरूप साक्ष्य है या नहीं और साक्ष्य की इस बिन्दू पर

विश्वसनीयता किस श्रेणी की है।

- इस संबंध में रिपोर्टकर्ता और आहत हरेन्द्रसिंह (अ०सा०–12) ने अपने अभिसाक्ष्य में साक्षी आरोपीगण को गांव के होने के कारण जानना बताते हुए घटना दिनांक 09 / 11 / 14 को सुबह करीब 05-06 बजे की बतायी है, जब वह घर पर था और उसके चाचा प्रेमसिंह व सुरेश खेतों पर काम करने के लिए जा रहे थे, तभी घर से कुछ दूरी पर उसके चाचा सुरेश व प्रेमसिंह के चिल्लाने की आवाज आने पर वह व उसका पिता महाराजसिंह चाची अंजू बाई, चाचा रामहेत पहुंचे, तो कुछ अज्ञात लोगों द्वारा प्रेमसिंह, सुरेश की लाठी डण्डों से मारपीट करना कहता है, बचाने पर उन्हें भी उक्त अज्ञात लोगों ने मारा था और उन्हें भी चोटें आयी थीं वह अमरसिंह और मेवाराम के भी मौके पर आने की बात बताता है, लेकिन उक्त साक्षी ने मारपीट करने वाले लोग कितनी संख्या में थे किस व्यक्ति पर क्या हथियार थे, इस बारे में साक्ष्य नहीं दी है और आरोपीगण के द्वारा घटना कारित किये जाने से इन्कार कर यह कहा है, कि घटना के समय अंधेरा था मारपीट करने वाले गांव के बाहर के व्यक्ति थे, इसलिए वह उन्हें नहीं पहचान पाया था और पुलिस के कहने पर उसने कागजों पर हस्ताक्षर किये थे, उसके चाचा की सुरेश उक्त घटना में मृत्यू हो गयी थी, जिससे वह सदमे में था, इसलिए उसने कागजों पर बिना पढे हस्ताक्षर कर दिये थे। आरोपीगण के विरूद्ध नामजद रिपोर्ट करने से वह इन्कार करता है, देहाती नालसी रिपोर्ट पुलिस द्वारा पढकर सुनाये जाने से भी वह इन्कार कर रहा है तथा पुलिस को दिये कथन प्र0पी0-36 में भी वह आरोपीगण के नाम लिखाने से इन्कार करता है, तथा आरोपीगण की गिरफतारी उसके सामने किये जाने से भी उसने इन्कार किया है और मौके से खून अलूदा व सादा मिट्टी को जब्त कर प्र0पी0=172 का जब्तीपत्रक बनाना वह कहता है, किंतु आरोपी शैलेष से बांस की लाठी सतेन्द्र व मनीष से लोहे के सरिये जब्त होने से भी वह इन्कार करता है।
- 15. इस प्रकार से हरेन्द्र (अ०सा०—12), जो कि प्रकरण के लिए अत्यधिक महत्व का साक्षी है, उसने हुई घटना आरोपीगण के द्वारा कारित करने से इन्कार कर, उनकी उपस्थिति से ही इन्कार किया है और घटना गांव के बाहर के अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कारित की जाना बतायी है। निर्विवादित रूप से आरोपीगण, आहतगण और मृतक एक ही गांव के हैं। कथानक मुताबिक घटना सुबह 08:00 बजे की बतायी गयी है, तथा अ०सा०—12 के मुताबिक तो सुबह 05:00—06:00 बजे की भी मानी जाये तब भी शीतऋतु में सुबह के समय इतना उजाला तो रहता ही है, जिससे नजदीक के व्यक्ति को पहचाना जा सके उक्त साक्षी के द्वारा आरोपीगण की उपस्थिति नहीं बतायी गयी है। जिससे आरोपीगण के द्वारा कोई विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया जाना उसका सदस्य रहते हुए घातक आयुधों से सुसज्जित हो कर बलवा किया जाना, आरोपीगण के द्वारा कोई अपराध किये जाने का

सामान्य उद्देश्य होना उक्त साक्षी के अभिसक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है।

- 16. अन्य आहतगण व महत्वपूर्ण साक्षियों की भी इस बिन्दु पर साक्ष्य देखी जाये तो अन्य आहत प्रेमिसंह (अ०सा0—05) महाराजिसंह (अ०सा0—06) श्रीमती अंजू (अ०सा0—07) रामहेत (अ०सा0—08) चक्षुदर्शी साक्षी रायिसंह (अ०सा0—09) मेवाराम (अ०सा0—10), अमरिसंह (अ०सा0—11) की अभिसाक्ष्य में भी आरोपीगण को गांव के होने के कारण पूर्व से जानना बताते हुए, आरोपीगण के द्वारा घटना कारित किये जाने से इन्कार किया है और अ०सा0—12 की तरह ही गांव के बाहर के अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घटना कारित किया जाना, घटना के समय अंधेरा होने से मारपीट करने वालों को पहचान नहीं पाना कहा है, अर्थात उक्त साक्षी भी आरोपीगण की घटना में उपस्थिति से इन्कार कर रहा है, जिससे अभियोजन का मामला उक्त बिन्दु पर भी संदिग्ध हो जाता है।
- 17, अभियोजन द्वारा अभिलेख पर जो अन्य साक्ष्य है, उसमें ए 0एस0आई0 आशाराम गौड (अ0सा0—19) ने दिनांक 09 / 11 / 14 को थाना मालनपुर में पदस्थ रहते हुए ग्राम गुरीखा में झगडे की सूचना मिलने पर गांव में जाना और गांव पहुंचने पर झगडे में अज्ञात व्यक्तियों का गोहद अस्पताल चले जाना मालूम होने पर गोहद अस्पताल आना बताया है। गोहद अस्पताल में आहतगण को ग्वालियर रैफर किये जाने पर ग्वालियर जाना और ग्वालियर में री–लाइफ अस्पताल पर पहुंच कर घटना के सबंध में हरेन्द्रसिंह द्वारा रिपोर्ट लिखाये जाने पर प्र0पी0-34 की देहाती नालसी आरोपीगण के विरूद्ध लेखबद्ध करना तथा उसके आधार पर थाने आकर प्र0पी0–48 की एफ0आई0आर0 लेखबद्ध करना बताया है, किंतु हरेन्द्र सिंह प्र0पी0—34 व प्र0पी0—48 में आरोपीगण के नाम बताये जाने से इन्कार करता है। अ०सा०–19 ने थाने से ग्राम ग्रीखा, गोहद अस्पताल व ग्वालियर अस्पताल जाने–आने के संबंध में रोजनामचा सान्हा क्रमांक 325 में प्रविष्टि करना कहा है जो प्रकरण के साथ संलग्न अवश्य नहीं है उसका यह भी कहना है, कि सूचना की जानकारी के आधार उसने पर जाना बताया है, जबकि अ0सा0–12 गांव के आरोपीगण का नाम लिखाने से इन्कार करता है और गांव के बाहर के व्यक्तियों द्वारा घटना कारित करना बताता है, ऐसे में प्र0पी— 34 और प्र0पी—48 में आरोपीगण का नाम होना संदिग्ध है, इस प्रकार ए०एस०आई० आशाराम गौड (अ०सा०–1) की अभिसाक्ष्य के आधार पर प्र0पी—34 एवं प्र0पी—48 में उल्लेखित आरोपीगण के नाम और उनके द्वारा घटना विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर उस जमाव के सामान्य उदेद्श्य को अग्रसर किये जाने का वृत्तांत प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। इसलिये अ0सा0—19 की अभिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं है और उससे प्र0पी0—34 व प्र0पी—48 आरोपीगण के विरूद्ध प्रमाणित नहीं होता है, और महत्वपूर्ण साक्षी से

भी उसको समर्थन नहीं है।

- आहत व्यक्ति के संबंध में न्याय दृष्टांत अब्दुल सैय्यद विरूद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 (2010) बॉल्यूम 10 एस0सी0सी0 **पेज–259** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आहत व्यक्ति के संबंध में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि आहत साक्षी की साक्ष्य का विशेष स्थान होता है क्योंकि वह घटनास्थल पर उपस्थिति की इनविल्ट गारंटी रखता है और ऐसा साक्षी असली अपराधी को बच निकलने देगा और किसी तृतीय पक्ष को असत्य रूप से फंसायेगा इसकी संभावना कम ही रहती है, इस कारण आहत के कथन पर विश्वास किया जाना चाहिए, जब तक कि उसकी साक्ष्य को निरस्त करने के लिये अभिलेख पर अच्छे आधार न हो, विचाराधीन मामले में आहतगण गांव के बाहर के व्यक्तियों के द्वारा घटना कारित किया जाना बताते हैं, जिन्हें वह नहीं पहचान पाये थे, आरोपीगण उनके गांव के हैं, गांव के व्यक्तियों से पूर्व से परिचित होना सामान्य रूप से उपधारित होता है। अभिलेख पर ऐसी कोई परिस्थिति जिससे आहतगण के द्वारा किसी तथ्य को छिपाया जा रहा हो, न ही अभियोजन पक्ष ने इस संबंध में कोई सुदृढ साक्ष्य पेश की है, केवल इस आशय का सुझाव अवश्य दिया है कि आहतगण ने आरोपीगण से समझौता कर लिया है, किंत् किस कारण और किस स्वरूप का समझौता किया है, इसकी भी कोई साक्ष्य नहीं है, और घटना में एक व्यक्ति की मृत्यू ह्यी है कई आहत ह्ये हैं तथा खेतों में पानी लगाने को लेकर विवाद के चलते आरोपीगण के द्वारा ही घटना को अंजाम दिया गया हो, तो फिर समझौते के संबंध में इस आशय की साक्ष्य आना चाहिए थी कि खेतों को लेकर जो विवाद था उसके संबंध में कोई समझौता हो गया है। ऐसी स्थिति में आहतगण व चक्षुदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य से अरोपीगण की घटनास्थल पर उपस्थिति ही संदिग्ध है ऐसे में उनकी उक्त अपराध में की गयी गिरफतारी और उनसे लाठी लुहांगी, सरिया, सब्बलिया आदि की बताई गयी जब्ती की कोई वैधानिकता नहीं रह जाती है क्योंकि आरोपीगण की गिरफतारी आदि की कार्यवाही बाद की है।
- 19. घटना की विवेचना करने वाले टी०आई० शेरसिंह (अ०सा०–18) ने अपने अभिसाक्ष्य में विवेचना प्राप्त होने पर साक्षियों के कथन लेखबद्ध करने के अलावा अरोपी छोटे, रूप सिंह और पानसिंह की प्र0पी0–3 लगायत प्र0पी0–05 के द्वारा गिरफ्तारी करना और प्र0पी0–10 व 11 के द्वारा रूपसिंह से बांस की लाठी और पानसिंह से सरिया की जब्दी और प्र0पी–12 द्वारा संदीप उर्फ छोटे से बांस की लाठी जब्द करना दिनांक 14/01/2015 को बताया है, जिसका समर्थन आरक्षक पवन (अ०सा0–2) व आरक्षक जगराम सिंह (अ०सा0–13) ने अपने अभिसाक्ष्य में किया है तथा अरोपी बलवीर को प्र0पी0–1 का गिरफ्तारी पत्रक बनाकर दिनांक 11/01/2015 को गिरफ्तार करना, उससे बांस की लाठी जब्द करना प्र0पी0–2

मुताबिक बताया गया है जिसका समर्थन आरक्षक इन्द्रसिंह (अ०सा0—1) के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में किया गया है, तथा आरोपी धीरसिंह व रामप्रकाश को प्र0पी0—37 व प्र0पी0—38 के गिरफ्तारी पत्रक मुताबिक दिनांक 06/02/2015 को गिरफ्तार करना बताया है, जिसका समर्थन आरक्षक जगराम सिंह (अ०सा0—13) के द्वारा किया गया है। हथियारों की बरामदगी के संबंध में उनका प्र0पी—39 एवं प्र0पी0—40 के आधार पर धारा—27 साक्ष्य विधान के तहत् मेमोरेण्डम कथन लेना भी शेरसिंह (अ०सा0—18) ने बताया है जिसका समर्थन भी आरक्षक जगराम (अ०सा0—13) ने किया है, और प्र0पी0—39 एवं प्र0पी—40 की जानकारी के आधार पर आरोपी रामप्रकाश से प्र0पी—41 के मुताबिक तथा आरोपी धीरसिंह से प्र0पी0—42 के माध्यम से बांस की लाठियों को जब्त करना बताया गया है, जिसका समर्थन अ०सा0—13 ने किया है, जिन्हें प्रमाणित माने जाने पर भी उससे आरोपीगण की घटना में उपस्थित प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है।

- 20. शेरसिंह (अ0सा0-18) द्वारा आरोपी पुरूषोत्तम व जीवनसिंह को दिनांक 19 / 01 / 2015 को प्र0पी0–06 व प्र0पी0–07 के द्वारा गिरफतार करना तथा प्र0पी–08 व 09 के उनसे हथियारों की बरामदगी के संबंध में मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध करना तथा प्र0पी0-13 मुताबिक जीवनसिंह से सब्बलिया, प्र0पी-14 मुताबिक पुरूषोत्तम से लुहांगी की जब्ती करना बताई गयी है, जिसका समर्थन आरक्षक पवन (अ०सा०–२) और आरक्षक जगराम सिंह (अ०सा०–13) के द्वारा अवश्य किया गया है, तथा विवेचक 👫 दिनांक 19 / 11 / 2014 को आरोपी मनीष, शैलेष और सतेन्द्र को प्र0पी0-18 लगायत प्र0पी0–20 के गिरफतारी पत्रक बनाकर गिरफतार करना तथा प्र0पी0–21 लगायत प्र0पी0–23 उनके मेमोरेण्डम कथन हथियारों की डिस्कवरी के लिये लेना तथा उनके आधार पर शैलेष से बांस की लाठी, सतेन्द्र व मनीष से लोहे के सरिये प्र0पी0—24 लगायत प्र0पी0—26 के जब्ती पत्रक मृताबिक जब्त करना बताये हैं, जिसकी कार्यवाही का समर्थन प्रेमसिंह (अ०सा०–५) और हरेन्द्र सिंह (अ०सा0–12) जो कि घटना के आहत हैं, और उक्त दस्तावेज के पंच साक्षी है, उन्होंने नहीं किया है, इसलिये उनकी वैधानिकता समाप्त हो जाती है और जब्ती गिरफतारी के आधार पर आरोपीगण का घटना के समय उपस्थित माने जाने का कोई विधिक आधार नहीं है। शेरसिंह (अ0सा0—18) के द्वारा दी गयी साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण की मौके पर उपस्थित होना और विधि विरूद्ध जमाव करना तथा घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बल या हिंसा प्रयोग कर बलवा कारिता किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।
- 21. इस प्रकार से अभिलेख पर अभियोजन की ओर से उक्त तीनों विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में जो साक्ष्य पेश की गयी है, उसमें सर्वप्रथम तो आरोपीगण की उपस्थिति ही स्थापित नहीं है, क्योंकि

आहतगण व चक्षुदर्शी साक्षियों ने जिन अज्ञात व्यक्तियों के घटना कारित करना बताया गया है) उनकी कोई संख्या नहीं बतायी गयी है, जबिक विधि विरूद्ध जमाव के लिए धारा–144 भा0द0वि0 के मुताबिक पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव जिनका सामान्य उद्देश्य कोई अपराध कारित करना हो, तब विधि विरूद्ध जमाव का गठन माना जाता है, जिसका प्रकरण में सर्वथा अभाव है। आरोपीगण का विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य होना भी प्रमाणित नहीं है, जिससे धारा–142 भा0द0वि0 के अवयव भी स्थापित नहीं है, तथा आरोपीगण की उपस्थिति से इन्कार किया गया है और आरोपीगण से हथियारों की जब्ती संदिग्ध्यायी गयी है। इसलिए आरोपीगण के विरूद्ध गतक आयुधों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य के रूप में सम्मिलित होना नहीं माना जा सकता है और प्रकरण में धारा—144 भा0द0वि0 के तत्वों का भी अभाव है, इसलिए आरोपीगण को बलवा के लिए भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसे में प्रकरण में धारा–147, 148, 149 भा०द०वि० के अपराध भी प्रमाणित नहीं होते है। इसिलए उक्त तीनों बिन्दुओं का प्रमाणित न होना निर्णित किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक—4 का विश्लेषण एवं निराकरण

- 22. उक्त विचारणीय बिन्दु में उक्त घटना में सुरेश को मारपीट के द्वारा पहुंचाई गयी चोटों के फलस्वरूप मृत्यु हो जाने के आधार पर कथानक मुताबिक अरोपीगण को अभियोजित किया है, साशय हत्या के अपराध के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत लालूमानजी विरूद्ध स्टेट ऑफ झारखण्ड (2003) बॉल्यूम 2 एस0सी0सी0 पेज-401 में साक्ष्य को तीन श्रेणियों में बांटे जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है-
 - पहला— पूर्ण विश्वसनीय साक्षी। दूसरा— पूर्ण अविश्वसीनय साक्षी। तीसरा— न तो पूर्ण विश्वसनीय और न ही पूर्ण अविश्सनीय। और यह स्पष्ट किया है, कि प्रथम दो श्रेणियों में कोई कितनाई नहीं होती है, क्योंकि प्रथम में साक्षी पर विश्वास करना होता है और दूसरी में अविश्वास करना होता है। कितनाई तीसरी श्रेणी के साक्षी में आती है और ऐसे में न्यायालय को साक्षी की अभिसाक्ष्य की पुष्टि देखनी चाहिए चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परिस्थितिजन्य, ऐसे में इस मामले में भी यह देखना होगा कि क्या अन्य अभियोजन साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियोजन के कथानक मुताबिक बताये गये आरोपीगण के संबंध में मामले को स्थापित करती है या नहीं करती है।
- 23. उक्त बिन्दु पर अभिलेख पर जो साक्ष्य आयी है, उसमें डॉ० पद्मचन्द्र (अ०सा०–14) ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 09/11/2014 को जे०ए०एच० हॉस्पीटल ग्वालियर के न्यूरोसर्जरी विभाग में आर०एस०ओ० के पद पदस्थ रहते हुये सुरेश पुत्र हरीराम उम्र 38 वर्ष

निवासी ग्राम गुरीखा थाना मालनपुर के संबंध में यह बताया है, कि उक्त आहत को सिर में चोट के इलाज हेतु ट्रॉमा सेन्टर में भर्ती किया गया था, जहां वह आर०एस०ओ० के पद पर पदस्थ था और उसके द्वारा इलाज किया गया था, तत्पश्चात ट्रॉमा सेन्टर से सुरेश को न्यूरोसर्जरी विभाग में दिनांक 12/11/14 को अग्रिम इलाज हेतु स्थानांतरित किया गया था, जहां उपचार के दौरान दिनांक 17/11/14 को न्यूरोसर्जरी विभाग के पोस्ट आपरेटिव वार्ड में उपचार के दौरान सुरेश की मृत्यु हो गयी थी, जिसकी सूचना उसने थाना कंपू जिला ग्वालियर को दी थी, जो प्र0पी0—43 है।

- 24. उब्त चिकित्सक के अभिसाक्ष्य में अन्यथा कोई तथ्य नहीं आये हैं, जिससे इस आशय की अभिलेख पर साक्ष्य है, कि सुरेश के सिर में पहुंची चोटों के कारण उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हुयी, और उक्त चिकित्सक द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर पुलिस थाना कंपू जिला ग्वालियर के ए०एस०आई० फिलोमन मिंज (अ०सा०–16) ने इस आशय की साक्ष्य दी है, कि सूचना मिलने पर वह दिनांक 17/11/14 को ही अस्पताल गया था और मृतक सुरेश पुत्र हरीराम की लाश के संबंध में उसने प्र०पी०–45 का सफीना फार्म तैयार किया था, तथा प्र०पी०–46 का लाश पंचायतनामा बनाया था, जिसका अभी खंडन नहीं किया गया है, इससे भी इस बात की पुष्टि होती है, कि सुरेश की अकाल मृत्यु हुयी थी।
- 25. मृतक सुरेश की लाश का शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक डॉ० एम०एल०माहौर को अभियोजन की ओर से (अ०सा०–२०) के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 17/11/14 को जी0आर0 मेडीकल कॉलेज ग्वालियर के फॉरेंसिक विभाग में प्रदर्शक के पद पर रहते हुये/मृतक सुरेश की लाश का पहचान उपरांत शव परीक्षण करना बताया है, मृतक की पहचान भूपसिंह द्वारा की गयी थी, शव परीक्षण करने पर मृतक के शरीर पर, बाह्य परीक्षण में छः चोटें पायीं थी, जिनमें से चोट कमांक एक दाहिने कान के ऊपर की हड़ड़ी से होते हुये फ्रंटल भाग में विद्यमान थी, जिस पर 32 टांके लगे थे, जो सिले घाव के रूप में पाये थे, इसके अलावा सिर के पिछले भाग ऑक्सीपीटल रीजन में भी एक सिला घाव जिस पर पांच टांके लगे थे, चोट क्रमांक दो के रूप में बतायी है, चोट क्रमांक तीन के रूप में बांये कान की ऊपर की हड्डी पर दो टांके लगा हुआ सिला घाव पाया गया, दांये हाथ और दाहिने पैर की एडी पर तथा बांये हाथ की कलाई पर रगढ़ के निशान पाये गये थे, आंतरिक परीक्षण में मृतक के सिर पर 5×5 सेंटीमीटर का ग्रेनिक टॉमी घाव पाया था, उसके पूरे मस्तिष्क में रक्त भरा था, हृदय के दाहिने भाग में रक्त भरा था, तथा आंतो में पचा हुआ खाना, मल, गैस, मिली थी, शेष अंग स्वस्थ थे, जिसकी उसने प्र0पी0-49 की शव परीक्षण रिपोर्ट तैयार करना बतायी है।

- डॉ० एम०एल०माहौर (अ०सा०-२०) ने मृतक स्रेश की मृत्यू के 26. संबंध में विशेषज्ञ के तौर पर इस आशय का अभिमत दिया है, कि सुरेश की मृत्यू सिर में आयी चोटों के कारण श्वसन किया रूकने से हयी थी, जो कि मानव वध की कोटि में आने वाला अपराध है मृत्य की अवधि शव परीक्षण होने से 6 से 24 घण्टे के मध्य की बतायी गयी है, उक्त चिकित्सक के अभिसाक्ष्य में भी कोई अन्यथा तथ्य नहीं आया है, प्र0पी0–49 के शव परीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर मृतक की पहचान उसके चाचा भूपसिंह द्वारा की गयी थी, और शव परीक्षण दिनांक 17 / 11 / 14 को दिन के दो बजे प्रारंभ किया गया था, अर्थीत मृत्यू 16 / 11 / 14 को दोपहर 02:00 बजे से लेकर 17 / 11 / 14 की सुबह 08:00 बजे के दरमियान की प्रकट होती है, अर्थात् उपचार के दौरान मृत्यु हुयी है जो चोटें मृतक को बतायी गयी हैं, वह शरीर के अत्यंत मार्मिक अंग सिर की है, और इस आशय को भी स्पष्ट मत दिया गया है, कि चोटों की प्रकृति को देखते हुये मृत्यु हत्यात्मक स्वरूप (Deth of nature Homecidial) की बतायी गयी है
- 27. इस तरह से चिकित्सकीय साक्ष्य से प्रमाणित होता है, कि मृतक सुरेश की मृत्यु चोटों को कारण हुई जिसकी प्रकृति हत्यात्मक थी, लेकिन उसके अलावा आरोपीगण को तभी दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है, जबिक उनके द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा मृतक को प्राप्त चोटें पहुंचायी जाना युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित होता हो। जिसके संबंध में प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य व परिस्थितियों को मूल्यांकन में लेना आवश्यक है।
- 28. इस संबंध में घटना का सर्वाधिक महत्व का साक्षी व रिपोर्टकर्ता हरेन्द्रसिंह (अ०सा०–12) तथा अन्य आहत प्रेमसिंह (अ०सा०–05), महाराजसिंह (अ०सा०–06), श्रीमती मंजू (अ०सा०–07), रामहेत (अ०सा०–08) व चक्षुदर्शी साक्षी रायसिंह (अ०सा०–09), मेवाराम (अ०सा०–10), और अमरसिंह (अ०सा०–11) ने अपने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में सुरेश की मृत्यु मारपीट में आयी चोटों के कारण होने की बात तो बतायी है, किंतु किसी ने भी इस संबंध में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है, कि मृतक सुरेश को आरोपीगण या उनमें से किसी के द्वारा कोई चोट पहुचायी गयी हो, अरोपीगण की तो मौके पर उपस्थिति से ही इन्कार किया गया है। इसलिए इस बिन्दु पर भी प्रत्यक्ष व महत्वपूर्ण साक्ष्य का अभाव है और उपरोक्त साक्षियों को अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर, पूछे गये सूचक प्रश्नों में भी कथानक अनुरूप कोई तथ्य नहीं आया है, जो घटना से आरोपीगण को कडी के रूप में जोडता हो।
- 29. अभिलेख पर अन्य कोई ऐसी परिस्थितियां भी विद्यमान नहीं है, जिससे आरोपीगण की संलिप्तता को बल मिलता हो, क्योंकि विवेचना

के दौरान घटनास्थल से जो खून आलूदा व सादा मिट्टी जब्त की गयी है जिसके संबंध में प्र0पी0—17 के जब्तीपत्रक का समर्थन हरेन्द्र (अ0सा0—12) ने किया है, जिसे घटना के विवेचक शेरिसंह (अ0सा0—18) ने तैयार करना बताया है और शवपरीक्षण के पश्चात मृतक सुरेश के कपडों की सीलबंद पोटली प्र0पी0—47 मुताबिक जब्त करना बतायी है। जिसके संबंध में आरक्षक नरवीरिसंह (अ0सा0—17) ने इस आशय की साक्ष्य दी है, कि मृतक सुरेश के कपडों का सीलबंद पैकेट आरक्षक शिववीर सिंह ने थाने पर लाकर एच0सी0एम0 संतोष तिवारी को उसके सामने सुपुर्द किया था, जिसकी एच0सी0एम0 संतोष तिवारी ने प्र0पी0—47 की जब्ती उसके सामने बनायी थी, जिसका कोई खण्डन नहीं है। इससे सीलबंद पैकेट मृतक का होना तो स्पष्ट होता है, किंतु उससे अरोपीगण के संबंध में कोई कडी नहीं जुडती है। ऐसे में अ0सा0—17 की साक्ष्य व प्र0पी0—47 के दस्तावेज औपचारिक साक्ष्य के रूप में ही है।

- 30. प्र0पी0—15 के मुताबिक भी मृतक सुरेश के कपडों की पोटली ए०एस0आई0 फिलोमन मिंज के द्वारा शव परीक्षण के पश्चात लाकर थाना कंपू ग्वालियर में दिये जाने पर जब्त करना बताया है। जिसके संबंध में प्रधान आरक्षक गंगासिंह (अ0सा0—03) ने समर्थनकारी साक्ष्य दी है, वह भी औपचारिक स्वरूप की है इसलिए उसे अधिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।
- 31. इस तरह से मृतक सुरेश के संबंध में अभिलेख पर, इस संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं आयी है, जिससे युक्तियुक्त संदेह के परे यह माना जा सके की मृतक सुरेश की हत्या आरोपीगण के द्वारा पहुंचाई गयी चोटों के फलस्वरूप कारित हुई और जैसा कि ऊपर यह विश्लेषित किया जा चुका है, कि आरोपीगण की घटनास्थल पर उपस्थिति ही सुनिश्चित नहीं है, न ही यह सुनिश्चित है, कि उनका विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर उसके सदस्य रहते हुए अपराध कारित करने का कोई सामान्य उद्देश्य रहा हो, घटना कारित करने का कोई हेतुक होने की भी साक्ष्य नहीं है, न ही परिस्थितियां है। इसलिए उक्त बिन्दु भी अभियोजन प्रमाणित करने में असफल है और आरोपीगण के विरूद्ध सुरेश की हत्या का आरोप भी पूर्णतः संदिग्ध है।

विचारणीय बिन्दु कमांक-05 लगायत 07 का निराकरण

- 32. उपरोक्त तीनों विचारणीय बिन्दु आपस में समर्थित होकर एक दूसरे से सम्बद्ध है इसलिए सक्ष्य की विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो और सुविधा की दृष्टि से सभी का एक साथ मूल्यांकन करते हुए निराकरण किया जा रहा है।
- 33. उपरोक्त बिन्दु आहत प्रेमसिंह, रामहेत, महाराज, अंजू और

हरेन्द्र की चोटों के आधार पर विरचित है। जिनके संबंध में अभिलेख पर जो चिकित्सकीय साक्ष्य आयी है, उसमें डॉ0 धीरज गृप्ता (अ०सा0-15) ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक-9/11/14 को सी0एच0सी0 गोहद में मेडीकल ऑफीसर में पद पर रहते हुए आहत रामहेत के बायें हाथ के बाजू और कलाई का एक्सरे परीक्षण कराये जाने पर बायें हाथ की ह्यूमरस नामक हड्डी एवं निचले भाग की अलना नामक हड्डी और बायें हाथ के अंगूठे में अस्थिभंजन पाया था, जिसकी प्र0पी0–44 की एक्सरे रिपोर्ट तैयार की थी और एक्सरे प्लेटें आर्टीकल ए और आर्टीकल बी के रूप में बतायी गयी हैं। उक्त चिकित्सक की साक्ष्य भी अखण्डनीय है, जिससे यह तो प्रमाणित होता है, कि घटना दिनांक को रामहेत के बायें हाथ में तीन स्थानों पर अस्थिभंजन होकर गंभीर चोटें थीं, किंत् उसकी चोटें प्राणघातक हों तथा किसके द्वारा पहुंचाई गयी हों, इस बारे में अभियोजन की कोई सुदृढ साक्ष्य नहीं है। अन्य आहतगण प्रेमसिंह, महाराज सिंह, श्रीमती अंजू और हरेन्द्र सिंह का कोई भी चिकित्सकीय परीक्षण कराये जाने की साक्ष्य नहीं आयी है, जिससे पांचों आहतगण को प्राणघातक उपहति की कोई चिकित्सकीय साक्ष्य नहीं है, रामहेत को छोडकर शेष किसी का चिकित्सकीय परीक्षण तक नहीं है। प्र0पी0—14 की एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर कोई कोई क्वेरी रिपोर्ट भी नहीं है, जो उसकी चोटों को प्राणघातक दर्शाती हों। प्र0पी0-44 मुताबिक बतायी चोटें शरीर के मार्मिक अंग पर नहीं है तथा आहत रामहेत की कोई मेडीको लीगल रिपोर्ट (एम०एल०सी०) भी साक्ष्य में पेश नहीं हुई है, इसलिए धारा—307 भा0द0वि0 के संबंध में चिकित्सकीय साक्ष्य का अभाव है, रामहेत की चोट प्र0पी0-44 के आधार पर घोर उपहति की श्रेणी में अवश्य आती है और धारा–323 भा०द०वि० के अपराध के लिए विधिक रूप से साधारण चोटों की चिकित्सकीय साक्ष्य आवश्यक नहीं होती है, केवल धारा—334 भा0द0वि0 के सिवाये स्वेच्छा कोई उपहति पहुंचाया जाना उसकी परिधि में आ जाता है, किंत् उक्त आरोप में भी आरोपीगण को तभी दोषसिद्ध किया जा सकता है, जबकि उपहति पहुंचाये जाने के संबंध में आरोपीगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य आयी हो, किंतु विचाराधीन में आहतगण प्रेमसिंह (अ०सा०—०५), महाराज (अ०सा०–०६) श्रीमती मंजू (अ०सा०–०७), रामहेत (अ०सा०–०८), हरेन्द्र (अ०सा0-12) में से किसी ने भी अपने अभिसाक्ष्य में कोई भी चोट आरोपीगण या उनमें से किसी के द्वारा पहुंचायी जाना नहीं बताया है ।

34. घटना के चक्षुदर्शी साक्षी रायिसंह (अ०सा0–09) मेवाराम (अ०सा0–10) और अमरिसंह (अ०सा0–11) ने भी किसी भी आरोपी को चोट पहुचाते हुए देखने का समर्थन नहीं किया है। सभी ने एक मत से मारपीट की घटना गांव के बाहर के अज्ञात लोगों द्वारा कारित की जाना बतायी है, जिन्हें वह पहचानते नहीं थे। इसलिए उक्त आरोप भी आरोपीगण के विरुद्ध संदिग्ध हो जाता है और बचाव

पक्ष का यह तर्क कि आरोपीगण ने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें पुलिस द्वारा फरियादी पक्ष की अशिक्षा व अज्ञानता के आधार पर खानापूर्ति करते हुए झूठा अभियोजित कर दिया है उसे बल मिलता है, क्योंकि अभिलेख पर ऐसी कोई भी साक्ष्य नहीं आयी है जो आरोपीगण को किसी भी आरोप में दोषसिद्ध ठहराने के लिए पर्याप्त हो।

- 35. इस प्रकार से उपरोक्त समग्र साक्ष्य, तथ्य, परिस्थितियों का विधि अनुरूप मूल्यांकन करने पर विचाराधीन कोई भी आरोप, आरोपीगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित नहीं होता है। परिणामस्वरूप आरोपीगण को संदेह का लाभ देते हुए आरोपीगण रामप्रकाश, धीरसिंह, पुरूषोत्तम, बलवीर, जीवनसिंह, संदीप सतेन्द्र को धारा—147, 148, 302 / 149, 307, 323 / 149, 325 / 149 एवं 294 भा0द0वि, एवं आरोपीगण संदीप, रूपसिंह को धारा—147, 148, 302 / 149, 307 / 149, 323 / 149, 325 / 149 एवं 294 भा0द0वि, आरोपीगण सतेन्द्र एवं पानसिंह को धारा—147, 148, 302, 307 / 149, 323 / 149, 325 / 149 एवं 294 भा0द0वि के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
- 36. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं ।
- 37. प्रकरण में जप्त बांस की लाठी, लाठी लुहांगी, सब्बलिया, सिरया, कुल्हाडी आदि मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात विधिवत नष्ट किये जावें। अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य होगा।
- 38. आरोपीगण को धारा—428 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत विचारण दौरान न्यायिक निरोध में काटी गयी अवधि बावत् प्रमाणपत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 39. निर्णय की प्रति डी.एम. भिण्ड को भेजी जावे ।

दिनांकः 07/09/2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड